

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर**  
 (जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)  
 टेलीफैक्स 0141-2222403, ईमेल- dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट www.lsgraj.org

क्रमांक : F.59 DLB/STP/Empa.Consultant.(14)/15/1671

दिनांक : 15-05-2017

**आदेश**

नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन, विभाग द्वारा राज्य सरकार के आदेश क्रमांक TPR/E.O.R./2013/283-325 दिनांक 03.10.2013 द्वारा राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों में नगरीय विकास से संबंधित परियोजनाएँ तैयार किये जाने हेतु कन्सलटेन्ट्स का एम्पेनलमेन्ट किया गया था। इसी आदेश में उक्त एम्पेनलड कन्सलटेन्ट में से ही डेडीकेटेड कन्सलटेन्ट्स भी लगाये थे। उक्त आदेश दिनांक 03.10.2013 की अवधि, इस कार्यालय के आदेश क्रमांक F.59/DLB/STP/Empa. Consultant (14)/15/1203 दिनांक 17.02.2017 को दिनांक 31.03.2018 तक बढ़ायी गई है।


आदेश दिनांक 03.10.2013 द्वारा किये गये डेडीकेटेड एम्पेनलमेन्ट कन्सलटेन्ट्स की सूची में राज्य सरकार द्वारा नगरीय निकायों में आमजन के कार्यों के निस्तारण हेतु प्रारंभ किये "मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना" के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों में तकनीकी सहयोग हेतु निम्नलिखित कन्सलटेन्ट्स को उनकी फर्म के नाम के समुख उल्लेखित श्रेणी में एम्पेनलडमेन्ट एवं नगरीय निकायों हेतु डेडीकेटेड कन्सलटेन्ट्स लगाये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

क्र. स.	फर्म का नाम एवं पता	श्रेणी जिसमें एम्पेनलमेन्ट किया गया है।	नगरीय निकाय का नाम जिनमें डेडीकेटेड कन्सलटेन्ट लगाया गया है।
1.	M/S RAYA ASSOCIATES III floor, Parwati Chamber, Behind Sahara Chamber, Tonk Phatak, Jaipur Mob. No- 9928010503 E-Mail - hajari.aloria@yahoo.co.in	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, सरकार के आदेश क्रमांक TPR/E.O.R./2013/283-325 दिनांक 03.10.2013 में वर्णित SURVEY AND LAND ACQUISITION THROUGH LAND POOLING FOR VARIOUS PROJECTS /ROADS/SCHEMES में एम्पेनलड किया गया है।	नागौर, टोंक, धौलपुर एवं बाड़मेर जिले की समस्त नगरीय निकायों में।
2.	M/S SANJEEV SINGH & ASSOCIATES 84 Vivek Vihar, JLN Marg, Jaipur Mob. No- 9829616712 E-Mail- ssaconcept@gmail.com	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, सरकार के आदेश क्रमांक TPR/E.O.R./2013/283-325 दिनांक 03.10.2013 में वर्णित श्रेणी-I, II, III, IV, XI एवं XII में एम्पेनलड किया गया है।	समस्त नगरीय निकायों में।
3.	M/S Base Line Architects 15-D, Shri Gopak Nagar, Near Mahesh Nagar police Thana, Jaipur Mob. No- 8741973112 E-Mail- argaurav.agrawal11007@gmail.com	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, सरकार के आदेश क्रमांक TPR/E.O.R./2013/283-325 दिनांक 03.10.2013 के तहत पूर्व में श्रेणी-I में ARCHITECTURAL DESIGN PROJECTS में एम्पेनलड किया गया है।	करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, जयपुर, भरतपुर जिलों की निकायों में।



4.	M/S Sara Design Studios Private Limited 152/3 Shipra Path, Mansarovar, Jaipur Mob. No- 9711540866 E-Mail- arjunsara12@gmail.com	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, सरकार के आदेश क्रमांक TPR/E.O.R./2013/283-325 दिनांक 03.10.2013 श्रेणी-I, II, III, IV एवं XII में में एम्पेनलन्ड किया गया है।	समस्त नगरीय निकायो मे
5.	M/S Chandrakala Architecture, C/O Sh.Narendra Saraswat 19/227, In front Ramkaran Factory Chaube pada, Karauli Mob. No- 9829076733 E-Mail- chandrakalaarchitecture@ hotmail.com	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, सरकार के आदेश क्रमांक TPR/E.O.R./2013/283-325 दिनांक 03.10.2013 के तहत पूर्व में श्रेणी-I में ARCHITECTURE AND ENGINEERING PROJECTS में एम्पेनलन्ड किया गया है।	जयपुर, कोटा, जोधपुर, भिवाड़ी, अलवर के नगरीय निकायों में

नगरीय निकाय पर उक्त सूची में से अथवा अन्य उपयुक्त कन्सलटेन्सी फर्म का अपने स्तर पर चयन कर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दरों पर कार्य करवाये जाने हेतु अपने स्तर पर कार्य आदेश जारी कर सकेंगे एवं कन्सलटेन्ट को भुगतान स्थानीय निकाय द्वारा अपने स्तर पर किया जावेगा। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


  
(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

क्रमांक : F.59 DLB/STP/Empa.Consultant.(14)/15/1672-80 दिनांक : 15-05-2017

प्रतिलिपि निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य नगर, नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, नगर निगम जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर/बीकानेर।
7. क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर/बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्र के अधीन समस्त नगरीय निकायों को सूचित करें।
8. सिस्टम ऐनालिस्ट कम जोइन्ट डायरेक्टर, निदेशालय को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
9. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

  
(आर.के. विजयवर्गीय)  
वरिष्ठ नगर नियोजक